रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 1976/आषाढ़ 16, 1898
No. 230] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 1976/ASADHA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July 1976

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Act, 1976 (Haryana Act 5 of 1976), as in force in the State of Haryana at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

MODIFICATIONS

1. In section 2, for the words and figures "Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961", the words and figures "Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. Section 2A shall be omitted.

3. In section 3, the words "or brought for processing" shall be omitted.

4. Section 4 shall be omitted.

ANNEXURE

THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (HARYANA AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1976 (HARYANA ACT 5 of 1976) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

An Act to amend the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, and to validate the levy, imposition, assessment or collection of fee on agricultural produce bought or sold or brought for, processing in the notified market areas in the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment and Validation) Act, 1976.

2. *Amendment of section* 2 *of Punjab Act* 23 *of* 1961.—After clause (h) of section 2 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), the following clause shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:—

'(hh) "licensee" means a dealer to whom a licence is granted under section 10 and the rules made under this Act and includes any person who purchases or sells agricultural produce and to whom a licence is granted as Kacha Arhtia or commission agent or otherwise but does not include a person licensed under section 13;'.

2A. [Omitted].

3. *Validation.*—Notwithstanding anything contained in any law, judgment, decree or order of any court, any fee levied, imposed, assessed or collected from a licensee under section 23 of the principal Act and the rules made thereunder on the agricultural produce bought or sold by him in any notified market area shall be deemed to have been validly levied, imposed, assessed or collected and such levy, imposition, assessment or collection shall not be called in question in any court and accordingly—

(a) no suit or other legal proceedings shall be maintained or continued in any court for the refund of the whole or any part of the fee so levied, imposed, assessed or collected; and

(b) no court shall enforce any decree or order directing the refund of the whole or any part of the fee so levied, imposed, assessed or collected.

4. [Omitted.]

[No. U-11015/8/76-UTL-(134)]

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1976

सा०का०नि० 447 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की तारीख को हरियाणा राज्य में यथाप्रवृत्त, पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम 5) का निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपान्तर

1. धारा 2 में "पंजाब कृषि उत्पादन उपज बाजार अधिनियम, 1961" शब्दों और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त, पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

2. धारा 2क का लोप किया जाएगा।

3. धारा 3 में "या प्रसंस्करण के लिए लाई गई" शब्दों को लोप किया जाएगा।

4. धारा 4 का लोप किया जाएगा।

उपाबन्ध

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाविस्तारित, पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का हरियाणा अधिनियम 5)।

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 में संशोधन करने और हरियाणा राज्य में अधिसूचित बाजार क्षेत्रों में क्रय की गई या विक्रय की गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज पर फीस के उद्ग्रहण, अधिरोपण, निर्धारण या संग्रहण के विधिमान्यकरण के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम**.—इस अधिनियम का नाम पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976 है।

2. **1961 के पंजाब अधिनियम सं० 23 की धारा 2 का संशोधन**.—चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त, पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड, अन्तःस्थापित किया जाएगा और सदैव अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(जज) 'अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यापारी अभिप्रेत है जिसे धारा 10 के अधीन और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है और उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है और जिसे 'कच्चा आढ़तिया' या कमीशन अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है किन्तु उसमें धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्त कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है; "।

2क (लोप किया गया)

3. **विधिमान्यकरण**.—किसी विधि, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, किसी अधिसूचित बाजार क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा क्रय या विक्रय की गई कृषि उपज पर मूल अधिनियम की धारा 23 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी पर उद्गृहीत, अधिरोपित, निर्धारित या उससे संगृहीत कोई फीस, विधिमान्यतः उद्गृहीत, अधिरोपित, निर्धारित या संगृहीत की गई समझी जाएगी और ऐसा उद्ग्रहण, अधिरोपण, निर्धारण या संग्रहण किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और तदनुसार—

(क) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस प्रकार उद्गृहीत, अधिरोपित, निर्धारित या संगृहीत सम्पूर्ण फीस या उसके किसी भाग की वापसी के लिए, किसी न्यायालय में चलाई नहीं जायेंगी या जारी नहीं रखी जायेंगी; और

(ख) कोई न्यायालय इस प्रकार उद्गृहीत, अधिरोपित, निर्धारित या संगृहीत सम्पूर्ण फी या उसके किसी भाग की वापसी का निदेश देने वाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा ।

4. (लोप किया गया)

[सं० यू 11015/8/76–यू टी एल (134)]

के० सी० पाण्डेय, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976